

यदि नीयत हो तो...फॉर्म हाउस गिराने का यही है बेहतरीन समय

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खोरी नहीं पूरे अरावली से अवैध कब्जे हटाने को कहा है

मजदूर मोर्चा ब्लूरो

फरीदाबाद: ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद के अरावली जोन में सिर्फ खोरी के लोग ही वन विभाग की जमीन पकड़ा करके बैठे हैं। यहां पर अभीरों के फॉर्म हाउस, प्रॉपर्टी डीलरों-बिल्डरों के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फॉड बाबाओं के आश्रम, मंदिर, गौशाला, दबंगों की क्रिकेट अकादमी या क्रिकेट गुरुकुल, दर्जनों बैंकेट हॉल वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से खड़े हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कार्रवाई के लिए कहा भी है लेकिन सिर्फ गिरी-चुनी कार्रवाई के आगे बात नहीं बढ़ती। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अगस्त 2020 में आदेश दिया था कि 31 जनवरी 2021 तक अरावली जोन में वन विभाग की जमीन पर बने सारे अवैध निर्माणों को गिरा दिया जाए। उसके बाद एमसीएफ ने मात्र खोरी में दो बार अतिक्रमण हटाओ अधियान शुरू किया और पुलिस न मिलने की वजह से रोक दिया। खोरी में वन विभाग की जमीन खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने जिला प्रशासन को एक मौका दिया है, जिसके तहत वो ऐसे तमाम अवैध फॉर्म हाउसों और अन्य संस्थानों को खाली करा सकती है। फरीदाबाद के अरावली जोन में 180 अवैध कब्जे गिराए जाने का इंतजार कर रहे हैं।

11 एफआईआर, कार्रवाई एक पर भी नहीं

1 जनवरी 2021 से लेकर वन विभाग अरावली में उसकी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज करा चुका है। एकशन लेने की जिम्मेदारी पुलिस की है लेकिन वह ऐसे वक्त पर पीछे हट जाती है। कई मामलों में वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पुलिस बुलाकर कार्रवाई करानी चाही तो पुलिस पहुंची ही नहीं और दबंगों ने वन विभाग के अफसरों को धमका कर भगा दिया। एक वन दरोगा की एक समुदाय विशेष के लोगों ने भयंकर पिटाई की। एफआईआर हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन



दरोगा ने दबंगों को अवैध निर्माण से रोका था। एमसीएफ ने सिर्फ अरावली जोन में ही नहीं एनआईटी इलाके में जब-जब पुलिस मांगी तो उसे नहीं मिली। फरीदाबाद पुलिस की छिलाई, कुछ पुलिस अफसरों के फॉर्म हाउसों की वजह से एकशन रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वन विभाग और एमसीएफ के अफसर और कर्मचारी दृष्ट के भुले हैं और वे इस खेल में शामिल नहीं हैं। दरअसल, हर विभाग एक दूसरे पर टोपी रखकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।

अनंतीर-मेवला महाराजपुर में मची लूट

अरावली जोन में पड़े वाले अनंतीर गांव में मार्च 2021 में 25 एकड़ और मई में 10 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। यह 35 एकड़ जमीन वन विभाग की है। इसमें एक भाजपा नेता से जुड़े कुछ बैंकेट हॉल और होटल मालिक शामिल हैं। मजदूर